हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा–व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा–संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा–व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा–संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 4 का प्रतिस्थापन।

हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा–व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा–संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा–व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा–संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 5) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा–व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा–संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन अधिनियम, 2017 है।

धारा 3 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा–व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा–संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में, ''एक वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''तीन वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4 का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :––

''4. अपराध का संज्ञान.––(1) इस धारा के अधीन किया गया अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत के सिवाय न करेगा।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा–व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा–संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 5) की धारा 4 यह उपबन्ध करती है कि इस अधिनियम के अधीन किया गया अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने यह माँग की है कि कर्त्तव्यारूढ़ चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध बढ़ रही हिंसा की घटनाओं और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान के दृष्टिगत भी पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन किया गया अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होना चाहिए। संघ की मांग पर विचार किया गया और उक्त अधिनियम के अधीन अपराध को संज्ञेय, अजमानतीय और तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय बनाने के साथ–साथ सुरक्षा उपायों के लिए भी उपबन्ध करने का विनिश्चय किया गया ताकि पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों का दुरूपयोग न हो। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(कौल सिंह ठाकुर)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2017

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी अधिकारी को लिखित में शिकायत करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा–व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा–संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017

हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा–व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा–संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 5) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(कौल सिंह ठाकुर)
प्रभारी मन्त्री।

(डॉ0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ....., 2017

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा–व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा–संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 5) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं :

3. **शास्ति.**––(1) जो कोई भी किसी चिकित्सीय सेवा–व्यक्ति के विरूद्ध हिंसात्मक कार्य करता है या किसी चिकित्सीय सेवा–संस्था की सम्पत्ति को नुकसान पंहुचाता है, तो वह दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शास्ति के अतिरिक्त अपराधी, चिकित्सीय सेवा–संस्था की सम्पत्ति को नुकसान या हानि पहुंचाने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसी रकम संदत्त करने के लिए दायी होगा जो न्यायालय द्वारा निर्णय में अवधारित की जाए।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन अवधारित क्षतिपूर्ति की रकम का संदाय नहीं किया जाता है, तो उसे भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जाएगा।

4. **अपराध का संज्ञान.**––इस अधिनियम के अधीन किया गया अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 4 OF 2017

THE HIMACHAL PRADESH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO PROPERTY) AMENDMENT BILL, 2017

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO PROPERTY) AMENDMENT BILL, 2017

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 3.
3. Substitution of section 4.

THE HIMACHAL PRADESH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO PROPERTY) AMENDMENT BILL, 2017

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2009 (Act No. 5 of 2010).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Amendment Act, 2017.

Amendment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for the words "one year", the words "three years" shall be substituted.

Substitution of section 4.

3. For section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"4. Cognizance of offence.—(1) Any offence committed under this Act shall be cognizable and non-bailable.

(2) No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made by the officer authorized by the Government, by notification, in this behalf.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 4 of the Himachal Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2009 (Act No. 5 of 2010) provides that any offence committed under this Act shall be cognizable and bailable. The Himachal Pradesh Medical Officers Association has demanded that the offence under the Act *ibid* should be cognizable and non-bailable in view of the increased incidences of violence against Medical Officers on duty and also damages to the Government property. The demand of the Association has been considered and it has been decided to make the offence under the said Act cognizable and non-bailable punishable with imprisonment upto three years and at the same time also to provide safe-guards so that the provisions of the Act ibid are not misused. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(KAUL SINGH THAKUR)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The....., 2017.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3 of the Bill seeks to empower the State Government to authorize an officer, by notification, to make a complaint in writing. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO PROPERTY) AMENDMENT BILL, 2017

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2009.

(KAUL SINGH THAKUR)
Minister-in-Charge.

(DR. BALDEV SINGH)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA :

The....., 2017.

THE EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO PROPERTY) ACT, 2009 (ACT NO. 5 OF 2010) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Sections :

3. Penalty.— (1) Whosoever commits an act of violence against a Medicare Service Person or causes any damages to the property of any Medicare Service Institution, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees.

(2) In addition to the penalty specified under sub-section (1), the offender shall be liable to pay, by way of compensation, such amount as may be determined by the court in the judgment for damages or loss caused to the property of Medicare Service Institution.

(3) Where the amount of compensation as determined under sub-section (2) is not paid, the same shall be recovered as arrears of land revenue.

4. Cognizance of offence.— Any offence committed under this Act shall be cognizable and bailable.